संख्या-8/2023/294926/001-38-6099(99)/17/2022

प्रेषक,

हरी राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

विषयः- स्टार्टअप विलेज एण्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईवी) के अन्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर, चन्दौली, जालौन, हमीरपुर, बहराइच, बांदा, फतेहपुर, आजमगढ, प्रयागराज के चयनित विकासखण्डों हेतु वित्तीय वर्ष-2022-23 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-1597/2756/आजीविका/लेखा, दिनांक-14 मार्च, 2023 के क्रम में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं0-S-11051/21/2015/NRLM(SVEP)/UP (SVEP_12), दिनांक-10.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुदान सं0-13 (सामान्य मद) में पुरोनिधानित योजना स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत केन्द्रांश (60 प्रतिशत) धनराशि रूपये-40879000/- अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) धनराशि रूपये-27252667/- बनती है, इस प्रकार अनुदान सं0-13 (सामान्य मद) अन्तर्गत कुल धनराशि रूपये-68131667/- (रूपये छः करोड इक्यासी लाख इकतीस हजार छः सौ सडसठ मात्र) निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में योजनान्तर्गत की गयी बजट व्यवस्था में से भारत सरकार के पत्र दिनांक-10.03.2023 द्वारा अनुदान सं0-13 (सामान्य मद) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार केन्द्रांश (60 प्रतिशत) धनराशि रूपये-40879000/-(लेखाशीर्षक-2501-01-800-02-04-27 सब्सिडी), उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) धनराशि रूपये-27252667/-(लेखाशीर्षक-2501-01-800-89-04-27 सब्सिडी), इस प्रकार कुल धनराशि रूपये-68131667/- (रूपये छः करोड इक्यासी लाख इकतीस हजार छः सौ सडसठ मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्य आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. भारत सरकार के पत्र दिनांक-10-03-2023 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,08,79,000 (रुपये चार करोड़ आठ लाख उनासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2501018000204 स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस0पी0ई0पी0) (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 2,72,52,667 (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख बावन हजार छह सौ सड़सठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2501018008904 स्टार्टअप विलेज एन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एस.वी.ई.पी.) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **यू0ओ0-ई0-2-237/दस-2022-23 दिनांक-22.03.2023** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
हरी राम
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त् सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, वेस्ट् हाई कोर्ट रोड, नागपुर।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6- मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य् ग्रामीण आजीविका मिशन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-2
8- वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1
9- नियोजन अनुभाग-3/राज्य् योजना आयोग अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरी राम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।